रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

No. 674] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 749(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय का रसायन और पैट्रोरसायन विभाग बहुलक सामग्रियों, उत्पादों, प्रसंस्करणों के क्षेत्रों में और राष्ट्रीय तथा सामाजिक महत्व के अन्य क्षेत्रों में सराहनीय नवीनताओं और अविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए पैट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक्स प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी संबंधी नवीनता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है ताकि पैट्रोरसायन उद्योग के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास को कार्यान्वित करने के लिए अविष्कारकों को प्रेरित किया जा सके;

और नवीनताओं के लिए उत्तरदायी संगठनों और/या व्यष्टियों को फायदे के रूप में नकद पुरस्कारों का संदाय किया जाता है । केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरी और प्रौद्योगिक संस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीआईपीईटी कहा गया है), जो भारत सरकार द्वारा 1968 में स्थापित एक सहायक निकाय है, स्कीम के अधीन नगद पुरस्कारों का कार्यान्वयन करने हेतु प्राधिकृत अभिकरण है;

और व्यष्टि प्रासिकर्ताओं को स्कीम के अधीन नगद पुरस्कार का पूर्वोक्त फायदा प्रदान करने में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1259 GI/2017

-217

1. (1) स्कीम के अधीन नकद पुरस्कार का फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे ।

(2) स्कीम के अधीन नकद पुरस्कार का फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार सभी पात्र फायदाग्राहियों, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो स्कीम के अधीन नकद पुरस्कार का फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उल्लिखित विनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग जो किसी व्यष्टि से आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, अपने कार्यान्यन अभिकरणों के माध्यम से, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूआईडीएआई कहा गया है) के रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा :

परंतु उस समय तक जब तक व्यष्टि को आधार संख्या समनुदेशित की जाती है, ऐसे व्यष्टियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) स्थायी खाता संख्या कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी ऐसे सदस्य का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी ऐसा पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या (vii) किसान फ़ोटो पास बुक; या (viii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(1) स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा स्कीम के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख प्रशासनिक मंत्रालच द्वारा उल्लिखित की जाने वाली विनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण आधार नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, प्रभारी विभाग से, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा स्कीम के अधीन फायदाग्राही, अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के

उपपैरा (3) के पहले परंतुक के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग को देकर या इस प्रयोजन के लिए वैब पोर्टल पर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 46016/45/2016-पीसी-2]

रंजना काले, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 749(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals is administering a **National Awards Scheme for Technology Innovation in Petrochemicals and Downstream Plastics Processing Industry (hereinafter referred to as the scheme)** to incentivize meritorious innovations and inventions in the field of polymeric materials, products, processes and other areas of national and social importance to motivate the inventors to carry out innovative Research and Development in the areas of petrochemicals industry; the cash awards paid as benefit is given to organizations and/or individuals responsible for innovations. And whereas, Central Institute of Plastics Engineering and Technology (hereinafter referred to as the CIPET), an autonomous body set-up in 1968 by Government of India is an authorised agency to implement these cash awards under the scheme;

And whereas, the aforesaid benefit of cash awards given to the individual recipients under the scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefit of cash award under the scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) All eligible beneficiaries entitled to receive benefit of cash awards under the scheme, who does not possess the Aadhaar Number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits of cash award under the scheme shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31/3/2017 , in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

   (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing agencies, which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the scheme through its implementing agencies may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the Registrars of Unique Identification Authority of India or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individuals, benefit under the scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2; and

(b) Voter ID card issued by the Election Commission of India ; or (ii) Permanent Account Number Card ; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by any Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union territory administrations.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in charge of implementation of the scheme for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the scheme to the beneficiaries, the Department or the authorised agency, in charge of implementation of the scheme shall make all the required arrangements including the following; namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the scheme shall be given to beneficiaries under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31/3/2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries under the scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as block or tehsil or taluka, the Department in charge through its implementing agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries under the scheme may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details specified in the clause (b) to first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 to the Department in charge of implementation of the scheme or the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 46016/45/2016-PC-II]

RANJANA KALE, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.07 10:55:19 +05'30'